

19/10/16

वकील वादी उपस्थित। उन्हें बुला गया। समय था जो संभव नहीं। पत्रावली के अक्लौड पर पाया कि प्रतिवादी सं. 2 के CR प्राप्त हेतु प्रकरण दिनांक 10-3-2010 से तथा प्रतिवादी सं. 4 व 5 की अक्लौड तालबाना सम्मन प्रकरण दिनांक 30-8-07 से लम्बित चल आ रहा है। लेकिन ना तो CR प्रार्थना पत्र इस दौरान पेश किया गया है और ना ही प्रतिवादी 4 व 5 के लिए सम्मन तालबाना पेश किया गया है प्रतिवादी सं. 1 व 6 से 9 के विरुद्ध दिनांक 12-01-08 के एब तरफ कार्यवाही की जा चुकी है। इसी स्थिति में वादी एवं लोगों अन्तराल तब आदेश की तन्मूल करिये से जासिर रहा है भरः प्रकरण अदम तन्मूल में मय खर्चे खारिज किया जात है मिसल केसल शुमार हेकरनम्बर के बम से। वाद फल्ल दायिल है।

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

